

Form No. III


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर  
मानसिंह वगै० बनाम लक्ष्मण प्रसाद

अपील संख्या 50/2025

GCMS NO 2025/

2025/187

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.06.25	<p>अपील श्री नन्दलाल कुमावत अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 127/22 मे पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 16.4.25 के विरुद्ध पेश की गई है।</p> <p>अपीलांत अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो० की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री किया गया है। अपीलांत को सुनवाई ,जबाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।</p> <p>अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण/अपीलांत के बाबजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है एवं इसी कारण वाद पत्र मे तनकीयात कायम नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांत का उक्त कथन साबित नहीं होता है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध पेश की गई है। यदि अपीलांत एक पक्षीय डिक्री से ग्रसित है तो विधि के अनुसार उनको अधिनस्थ न्यायालय मे आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं कर सीधे ही प्रारंभिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांत अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का निर्णय अपीलांत के विरुद्ध पारित किया जाता है तो अपीलांत अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>अंतःअपील अपीलांत इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। निर्णय सुनाया गया।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर